458
3.45

उत्तराखण्ड शासन,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2,
संख्या–785 / X–2–2017–19(13) / 2014
देहरादूनः दिनांक 27 जून, 2017

अधिसूचना

चूंकि कांच के पाउडर या अन्य हानिकारक पदार्थों से लेपित नॉयलान युक्त धागा या अन्य सिन्थेटिक धागा, जिसे सामान्यतः नॉयलान मांजा या चाइनीज डोर या चाइनीज मांजा के नाम से जाना जाता है, से निर्मित पतंग उड़ाने के दौरान पक्षियों एवं आम लोगों को बहुधा चोट लगने और ऐसी चोटें के कई बार घातक सिद्व होने के कारण आम लोगों और पक्षियों की मृत्यु कारित होने की घटनाएं होती रहती हैं;

और चूंकि नॉयलान या प्लास्टिक या सिन्थेटिक सामग्री से युक्त धागे के अवशेष वापस जमीन पर आ जाते हैं और काफी लम्बे समय तक नष्ट नहीं होते हैं तथा प्राकृतिक रूप से गैरजैविक होने के कारण लगातार सीवेज, जल निकासी, प्राकृतिक जंलमार्गों यथा नदियों, धाराओं इत्यादि में अवरोधक बनकर समस्याएं उत्पन्न करते है एवं गाय एवं अन्य जानवरों द्वारा खाद्य पदार्थों के साथ भोजन के रूप में इनके ग्रहण करने के कारण उनके दम घुटने की समस्याएं बनी रहती है;

और चूंकि जनहित में यह आवश्यक हो गया है कि नॉयलान या प्लास्टिक या सिन्थेटिक सामग्री से निर्मित धागों के घातक प्रभावों से आम लोगों और पक्षियों को ऐसी पतंगबाजी के दौरान सुरक्षित किया जाये;

अतएव, राज्यपाल उत्तराखण्ड केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना संख्या 289(ई) दिनांक 14.04.1988 सपठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निर्मित ऐसे धागों तथा अन्य गैर जैविक सिन्थेटिक धागों का उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत भण्डारण, विक्रय और उपयोग को प्रतिबंधित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

एस0 रामास्वामी
मुख्य सचिव

458-3:45PM

संख्या 755 /X-2-2017-19(13)/2014तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. पुलिस महॉनिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
10. समस्त वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड (ब), भाग—4 में प्रकाशन हेतु।
12. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 तोमर)
संयुक्त सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no dated 2017 for general information;

Government of Uttarakhand
Forest & Environment Section-2,
No.955 /X-2-2017-19(13)/2014
Dehradun: Dated 27 June, 2017

Notification

WHEREAS, during the kite flying, a lot of injury is caused to the people and birds on account of nylon thread or other synthetic (non-biodegradable) threads which are usually coated with powdered glass or other harmful substances, commonly known as *Nylon Manja* or *Chinese Dor* or *Chinese Manja*. These injuries many a times turn out to be fatal causing death of people & birds.

AND WHEREAS, all these cut threads along with the kites eventually come to the land. Because of the very long life of the nylon/plastic/synthetic materials & being non-biodegradable in nature these threads continue to cause problems such as blockages of sewers, drainage lines, natural waterways such as river, streams etc. and suffocation of cows & other animal also who eat food items along with such material.

AND WHEREAS, it is necessary to ensure safety from the fatal effects of manufactured threads of nylon or manja or Synthetic items to the innocent birds, human beings & wild animals.

Now therefore in exercise of the power confessed by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with Central Government notification vide SO 152(E) dated 10.02.1988. The Governor is pleased to prohibit the stock, sell, and use nylon thread or other synthetic (non-biodegradable) threads coated with powdered glass or other harmful substances commonly known as *Nylon Manja* or *Chinese Dor* as *Chinese Manja,* or other similar names in the state of Uttarakhand.

S Ramaswamy
Chief Secretary